प्रकरण संख्या–19/17 तारीख रजु–12.10.2017

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, सपोटरा, तहसील–सपोटरा, जिला–करौली– प्रार्थी

बनाम

रमेश चंद मीना, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचा.–नारौली डांग, तहसील–सपोटरा, जिला–करौली – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सीज्ड किये गये 846 लीटर केरोसीन एवं 100 किलो गेंहूं मय बारदाना को राजसात् करने बाबत्।

निर्णय

दिनांक–29.01.2019

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री हरविन्द्र शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक, सपोटरा ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि दिनांक 31.07.2017 को एस.एच.ओ. सपोटरा से दूरभाष पर यह सूचना प्राप्त हुई कि चौकी इन्चार्ज, नारौली डांग द्वारा रमेश मीना, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत–नारौली डांग का राशन का केरोसीन, गेहूं मय ट्रैक्टर कालाबाजारी के संदेह में रोका है एवं राशन सामग्री मय ट्रैक्टर चौकी परिसर नारौली डांग में रखी हुई है। इस संबंध में जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार जांच हेतु स्वयं व हमराह श्री अमित कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक करौली पुलिस चौकी नारौली डांग पहुंचे। मौके पर नारौली डांग पुलिस चौकी इन्चार्ज श्री रमेश चंद मीना ने बताया कि दिनांक 31.07.2017 को समय 12.15ए.एम. पर गस्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर राशन डीलर बबलू उर्फ रमेश चंद मीना ग्राम पंचायत नारौली डांग का राशन सामग्री से भरा ट्रैक्टर राशन सामग्री की कालाबाजारी के संदेह के आधार पर रोक कर पुलिस चौकी में खड़ा किया गया है। वक्त जांच पुलिस चौकी नारौली डांग में मैसी ट्रैक्टर मॉडल 1035 खड़ा पाया जिसकी ट्रॉली में 6 ड्रमों एवं 2 जरीकेनों में नीला केरासीन भरा हुआ तथा तीन कट्टों में राशन के गेंहूं रखे पाये गये जिनकी माप करने पर 846 लीटर केरोसीन एवं 100 किलो गेंहूं पाये गये जिन्हें कालाबाजारी के संदेह में मय बारदाना रूबरू मौतविरान जब्त सरकार किया गया। राशन सामग्री श्री कमलेश मीना, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत नारौली डांग की सुपुर्दगी में दिया गया एवं ट्रैक्टर–ट्रॉली को आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस को दिया गया। उचित मूल्य दुकानदार रमेश चंद मीना ने पूछताछ बयानों में बताया कि पकड़ा गया ट्रैक्टर व उसमें रखी राशन सामग्री उसी की है जिसे वह अपने अस्थाई गोदाम से स्थाई वितरण केन्द्र पर ला रहा था किन्तु डीलर द्वारा अस्थाई गोदाम का प्रमाणित नक्शा तथा अस्थाई गोदाम की स्वीकृति संबंधी दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किये गये। डीलर की उचित मूल्य की दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में मौके पर 100 लीटर केरोसीन तथा 246 कट्टा (प्रति कट्टा 50 किलो भरती का) कुल 123 क्वि. गेहूं पाया गया। डीलर श्री रमेश चंद मीना की दुकान पर राशन सामग्री की आमद एवं वितरण की जांच एवं अंकेक्षण करने पर मौके पर कुल 381 लीटर कैरोसीन एवं 1.26 क्विं. गेंहूं कम पाया गया। दिनांक 01.10.2016 से वक्त जांच तक डीलर की दुकान पर कुल 10800 लीटर केरोसीन की आमद एवं 9473 लीटर केरोसीन का वितरण हुआ। इस प्रकार 1327 लीटर केरोसीन मौके पर मिलना चाहिये था किन्तु भौतिक सत्यापन करने पर कुल 946 लीटर केरोसीन जिसमें 846 लीटर ट्रेक्टर ट्रॉली

जिला कलक्टर
करौली

में एवं 100 लीटर उचित मूल्य दुकान में पाया गया। इस प्रकार 381 लीटर केरोसीन कम पाया गया। इसी प्रकार दिनांक 01.09.2016 से वक्त जांच तक डीलर की दुकान पर कुल 1257.41 क्वि. गेंहूं की आमद एवं 1132.15 क्विं. गेंहूं का वितरण हुआ। इस प्रकार डीलर के स्टॉक में कुल 125.26 क्विं. गेंहूं होना चाहिये था किन्तु डीलर के स्टॉक में 124 क्विं. गेंहूं जिसमें 123 क्विं. गेंहूं उचित मूल्य दुकान पर तथा 1 क्विं. गेंहूं ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा पाया गया। इस प्रकार डीलर के स्टॉक में 1.26 क्विं. गेंहूं कम पाया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा अस्थाई गोदाम हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं लेने, अस्थाई गोदाम का प्रमाणित नक्शा मौके पर प्रस्तुत नहीं करने तथा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति से रात्रि के समय राशन सामग्री का अवैध तरीके से परिवहन कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के खण्ड 6 तथा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17सी एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अंत में उक्त जब्तशुदा केरोसीन एवं गेंहूं को मय वारदाना (6 ड्रम, 2 जरीकेन एवं 3 कट्टे) राजसात किये जाने एवं केरोसीन वाष्पित होने वाली ज्वलनशील, आवश्यक श्रेणी की वस्तु होने के कारण इसके अंतिम निस्तारण किये जाने बाबत् निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

वकील अप्रार्थी ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत नारौली डांग का उचित मूल्य दुकान हेतु अधिकृत है जिसका प्राधिकरण पत्र संख्या 251/2007 है। प्रार्थी की स्वीकृत दुकान मैन रोड पर नहीं होने के कारण एवं बरसात के दिनों में कीचड हो जाने के कारण रसद सामग्री गाडी अप्रार्थी के स्वीकृत गोदाम में नही जा सकती जिसके कारण अप्रार्थी द्वारा दिनांक 10.11.2014 एवं 06.07.2015 को उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली को अस्थाई गोदाम किराये पर लेने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर विचार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी सपोटरा द्वारा अप्रार्थी को बरसात के दिनों मे अस्थाई गोदाम में रसद सामग्री रखने बाबत् मौखिक आदेश प्रदान किये। पत्र दिनांक 10/11/2014 एवं 06.07.2015 की प्रस्तुत है। अप्रार्थी द्वारा बरसात के कारण उपभोक्ताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 31.07.2017 को रसद सामग्री वितरण हेतु उक्त वितरण केन्द्र पर ले जा रहा था लेकिन राजनैतिक रंजिशवश कुछ व्यक्तिओं द्वारा पुलिस चौकी सपोटरा में अप्रार्थी के विरूद्ध झूठी शिकायत की गई जिसके कारण पुलिस चौकी नारौली डांग द्वारा अप्रार्थी की रसद सामग्री को जब्त किया गया है एवं अप्रार्थी की स्टॉक की बिना उचित माप–तौल किये ही अप्रार्थी के विरूद्ध 381 लीटर केरोसीन एवं 1.26 क्विंटल गेंहू कम पाये जाने का आरोप लगाया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध झूठे तथ्यों पर उक्त एफ.आई.आर. दर्ज करायी है जबकि वक्त जाँच अप्रार्थी के स्टॉक में रसद सामग्री पूर्ण रूप से मौजूद थी। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 12.08.2017 को स्टॉक में शेष 481 लीटर केरोसीन एवं 125.6 क्विंटल गेंहू में पोस मशीन के अटैच डीलर धनसिंह मीना को सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा ना तो किसी भी प्रकार से कोई रसद सामग्री का दुरूपयोग किया हैं एवं ना ही कोई कालाबाजारी की है। रसद सामग्री की जमा राशि दिनांक 12.08.2017 की फोटो प्रति संलग्न है। बारिश के दिनों में अप्रार्थी की दुकान के सामने कीचड़ हो जाने के कारण अप्रार्थी की दुकान तक रसद सामग्री की गाड़ी नहीं पहुंच पाने के कारण उपभोक्ताओं की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 06.07.2015 को उपखण्ड अधिकारी सपोटरा को मय नक्शा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय सपोटरा द्वारा अस्थाई गोदाम हेतु स्वीकृति दी गई लेकिन जिला रसद अधिकारी कार्यालय करौली द्वारा उक्त अस्थाई

जिला कलक्टर
करौली

गोदाम के नक्शें को प्राधिकार पत्र में इन्द्राज नहीं किया गया जो कि एक तकनीकी अनियमितता हैं जिसके कारण अप्रार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अप्रार्थी द्वारा ना तो रसद सामग्री का दुरूपयोग किया है ना ही रसद सामग्री की कालाबाजारी की है एवं अप्रार्थी द्वारा स्टॉक के अनुसार पूर्ण रसद सामग्री अटैच डीलर को सुपुर्द कर दी गयी है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 25.03.1994 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि छोटी–मोटी तकनीकी त्रुटियों के आधार पर डीलरों के विरूद्ध मुकदमें नही बनाये जाये। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कालाबाजारी नहीं की गई है एवं प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद अधिकारी कार्यालय करौली द्वारा बिना रिकॉर्ड की जांच किये एवं बिना उचित माप–तौल किये अंदाजन स्टॉक की गणना की गई है जबकि अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार कोई कालाबाजारी नहीं की गई एवं मात्र तकनीकी आधार पर अस्थाई गोदाम का प्रमाणित नक्शा नहीं होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध कालाबाजारी एवं गबन का आरोप लगाया गया जबकि अप्रार्थी के स्टॉक में पूर्ण रसद सामग्री मौजूद थी एवं अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की है एवं जुलाई माह में बरसात का मौसम होने के कारण अप्रार्थी द्वारा मैन रोड पर स्थित अस्थाई गोदाम में रसद सामग्री वितरण हेतु ले जाई जा रही थी जिसमें अप्रार्थी की कोई बदनीयति नहीं थी। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी प्रस्तुत जवाब को कन्सीडर किया जाकर धारा 6ए के तहत की गई कार्यवाही को ड्रॉप / निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित करने एवं अप्रार्थी से जब्त 846 लीटर केरोसीन एवं 100 किलोग्राम गेहूं को अप्रार्थी को सुपुर्दगी किये जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक का बहस में कथन है कि दिनांक 31.07.2017 को एस.एच.ओ. सपोटरा से दूरभाष पर यह सूचना प्राप्त हुई कि चौकी इन्चार्ज, नारौली डांग द्वारा रमेश मीना, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत–नारौली डांग का राशन का केरोसीन, गेहूं मय ट्रैक्टर कालाबाजारी के संदेह में रोका है एवं राशन सामग्री मय ट्रैक्टर चौकी परिसर नारौली डांग में रखी हुई है। इस संबंध में जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार जांच हेतु स्वयं व हमराह श्री अमित कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक करौली पुलिस चौकी नारौली डांग पहुंचे। मौके पर नारौली डांग पुलिस चौकी इन्चार्ज ने बताया कि दिनांक 31.07.2017 को समय 12.15 ए.एम. पर गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर राशन डीलर बबलू उर्फ रमेश चंद मीना ग्राम पंचायत नारौली डांग का राशन सामग्री से भरा ट्रैक्टर राशन सामग्री की कालाबाजारी के संदेह के आधार पर रोक कर पुलिस चौकी में खड़ा किया गया है। वक्त जांच पुलिस चौकी नारौली डांग में खड़े मैसी ट्रैक्टर मॉडल 1035 की ट्रॉली में 6 ड्रमों एवं 2 जरीकेनों में भरे नीले केरासीन एवं तीन कट्टों में भरे राशन के गेंहूं की माप करने पर 846 लीटर केरोसीन एवं 100 किलो गेंहूं पाये गये जिन्हें कालाबाजारी के संदेह में मय बारदाना रूबरू मौतविरान जब्त सरकार कर श्री कमलेश मीना, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत नारौली डांग की सुपुर्दगी में दिया गया एवं ट्रैक्टर–ट्रॉली को आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस को दिया गया। उचित मूल्य दुकानदार रमेश चंद मीना ने पूछताछ बयानों में बताया कि पकड़ा गया ट्रैक्टर व उसमें रखी राशन सामग्री उसी की है जिसे वह अपने अस्थाई गोदाम से स्थाई वितरण केन्द्र पर ला रहा था किन्तु डीलर द्वारा अस्थाई गोदाम का प्रमाणित नक्शा तथा अस्थाई गोदाम की स्वीकृति संबंधी दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किये गये। डीलर की उचित मूल्य की दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में मौके पर 100 लीटर केरोसीन तथा 246 कट्टा (प्रति कट्टा 50 किलो भरती का) कुल 123

जिला कलक्टर
करौली

क्वि. गेहूं पाया गया। डीलर श्री रमेश चंद मीना की दुकान पर राशन सामग्री की आमद एवं वितरण की जांच एवं अंकेक्षण करने पर मौके पर कुल 381 लीटर कैरोसीन एवं 1.26 क्विं. गेंहूं कम पाया गया। दिनांक 01.10.2016 से वक्त जांच तक डीलर की दुकान पर कुल 10800 लीटर केरोसीन की आमद एवं 9473 लीटर केरोसीन का वितरण हुआ। इस प्रकार 1327 लीटर केरोसीन मौके पर मिलना चाहिये था किन्तु भौतिक सत्यापन करने पर कुल 946 लीटर केरोसीन जिसमें 846 लीटर ट्रेक्टर ट्रॉली में एवं 100 लीटर उचित मूल्य दुकान में पाया गया। इस प्रकार 381 लीटर केरोसीन कम पाया गया। इसी प्रकार दिनांक 01.09.2016 से वक्त जांच तक डीलर की दुकान पर कुल 1257.41 क्वि. गेंहूं की आमद एवं 1132.15 क्विं. गेंहूं का वितरण हुआ। इस प्रकार डीलर के स्टॉक में कुल 125.26 क्विं. गेंहूं होना चाहिये था किन्तु डीलर के स्टॉक में 124 क्विं. गेंहूं जिसमें 123 क्विं. गेंहूं उचित मूल्य दुकान पर तथा 1 क्विं. गेंहूं ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा पाया गया। इस प्रकार डीलर के स्टॉक में 1.26 क्विं. गेंहूं कम पाया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा अस्थाई गोदाम हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं लेने, अस्थाई गोदाम का प्रमाणित नक्शा मौके पर प्रस्तुत नहीं करने तथा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति से रात्रि के समय राशन सामग्री का अवैध तरीके से परिवहन कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के खण्ड 6 तथा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17सी एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अंत में उक्त जब्तशुदा केरोसीन एवं गेंहूं को मय वारदाना (6 ड्रम, 2 जरीकेन एवं 3 कट्टे) राजसात किये जाने एवं केरोसीन वाष्पित होने वाली ज्वलनशील, आवश्यक श्रेणी की वस्तु होने के कारण इसके शीघ अंतिम निस्तारण किये जाने बाबत् कथन किया गया है।

वकील अप्रार्थी का बहस में कथन है कि अप्रार्थी की स्वीकृत दुकान मैन रोड पर नहीं होने के कारण एवं बरसात के दिनों में कीचड हो जाने के कारण रसद सामग्री गाडी अप्रार्थी के स्वीकृत गोदाम में नही जा सकती जिसके कारण अप्रार्थी द्वारा दिनांक 10.11.2014 एवं 06.07.2015 को उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली को अस्थाई गोदाम किराये पर लेने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर विचार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी सपोटरा द्वारा अप्रार्थी को बरसात के दिनों मे अस्थाई गोदाम में रसद सामग्री रखने बाबत् मौखिक आदेश प्रदान किये लेकिन जिला रसद अधिकारी कार्यालय करौली द्वारा उक्त अस्थाई गोदाम के नक्शें को प्राधिकार पत्र में इन्द्राज नहीं किया गया जो कि एक तकनीकी अनियमितता हैं जिसके कारण अप्रार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 25.03.1994 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि छोटी–मोटी तकनीकी त्रुटियों के आधार पर डीलरों के विरूद्ध मुकदमें नही बनाये जाये। अप्रार्थी द्वारा बरसात के कारण उपभोक्ताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 31.07.2017 को रसद सामग्री वितरण हेतु उक्त वितरण केन्द्र पर ले जा रहा था लेकिन राजनैतिक रंजिशवश कुछ व्यक्तिओं द्वारा पुलिस चौकी सपोटरा में अप्रार्थी के विरूद्ध झूठी शिकायत की गई जिसके कारण पुलिस चौकी नारौली डांग द्वारा अप्रार्थी की रसद सामग्री को जब्त किया गया है एवं अप्रार्थी की स्टॉक की बिना उचित माप–तौल किये ही अप्रार्थी के विरूद्ध 381 लीटर केरोसीन एवं 1.26 क्विंटल गेंहू कम पाये जाने का आरोप लगाया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध झूठे तथ्यों पर उक्त एफ.आई.आर. दर्ज करायी है जबकि वक्त जाँच अप्रार्थी के स्टॉक में रसद सामग्री पूर्ण रूप से मौजूद थी। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 12.08.2017 को स्टॉक में शेष 481 लीटर केरोसीन एवं 125.6 क्विंटल गेंहू में पोस मशीन के अटैच डीलर धनसिंह मीना को सुपुर्द कर दिया। उक्त प्रकरण में प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद अधिकारी कार्यालय करौली द्वारा बिना रिकॉर्ड की जांच किये एवं बिना उचित माप–तौल किये अंदाजन स्टॉक की गणना की गई है जबकि

जिला कलक्टर
करौली

अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार कोई कालाबाजारी नहीं की गई एवं मात्र तकनीकी आधार पर अस्थाई गोदाम का प्रमाणित नक्शा नहीं होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध कालाबाजारी एवं गबन का आरोप लगाया गया। जुलाई माह में बरसात का मौसम होने के कारण अप्रार्थी द्वारा मैन रोड पर स्थित अस्थाई गोदाम में रसद सामग्री वितरण हेतु ले जाई जा रही थी जिसमें अप्रार्थी की कोई बदनीयति नहीं थी। अंत में धारा 6ए के तहत की गई कार्यवाही को ड्रॉप/निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित करने एवं अप्रार्थी से जब्त 846 लीटर केरोसीन एवं 100 किलोग्राम गेहूं को अप्रार्थी को सुपुर्दगी किये जाने के आदेश पारित करने का कथन किया है।

बहस उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति लिये बिना दिनांक 31.07.2017 को रात्रि के समय जब्तशुदा राशन सामग्री 846 लीटर नीला केरोसीन एवं 100 किलो गेंहूं का अवैध परिवहन किया जा रहा था। साथ ही अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्तशुदा राशन सामग्री का स्वयं का होना स्वीकार किया है। अपीलार्थी अस्थाई वितरण केन्द्र का प्रमाणित नक्शा एवं स्वीकृति प्रस्तुत करने में भी विफल रहा है जिससे उक्त राशन सामग्री की कालाबाजारी किया जाना प्रतीत होता है। हम प्रार्थी के कथन से सहमत हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 3 कटटों में भरे 100 किलो गेंहूं एवं 6 ड्रमों एवं 2 जरीकेनों में भरे 846 लीटर नीले केरोसीन को मय बारदाना राजसात् किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी करौली को आदेश दिये जाते हैं कि जब्तशुदा 100 किलो गेंहूं एवं 846 लीटर नीले केरोसीन को पोस मशीन से वितरित करवाकर प्राप्त राशि को राजकोष में जरिये चालान जमा करवाकर 15 दिन में चालान प्रति इस न्यायालय में जमा करावें। जिला रसद अधिकारी, करौली को निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली